



मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011 (म.प्र.)

क्रमांक / 10299 / निस / पेंशन / लेखा शाखा / भोपाल, दिनांक 09 / 05 / 2018
प्रति,
1 समस्त उपायुक्त,
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधो.वि.मंडल,
वृत्त

2 समस्त कार्यपालन यंत्री,
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधो.वि.मंडल,
संभाग

3 समस्त संपत्ति अधिकारी,
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधो.वि.मंडल,
प्रक्षेत्र

विषय:- पेंशन प्रकरण अंतिम निराकरण उपरान्त मूल सेवा पुस्तिका संबंधित कार्यालय प्रमुख को वापसी विषयक।


—00—

मण्डल के विनियम 2015, अनुभाग-1 प्रशासन, भाग-9 सेवानिवृत्ति के सरल क्रमांक-12 एवं 4 प्रावधान अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन प्रकरण अंतिम निराकरण हेतु मुख्यालय लेखा/पेंशन शाखा में प्राप्त होते हैं।

मण्डल में पेंशन प्रकरण निराकरण, उपरान्त मूल सेवा पुस्तिका मुख्यालय पेंशन शाखा से संबंधित कार्यालय प्रमुख को पी.पी.ओ. जारी होने की तिथि से एक वर्ष बाद अथवा कार्यालय प्रमुख की मांग पर तत्काल (जो भी पहले हो) वापस किये जाने की प्रक्रिया तय की गयी है।

संबंधित कार्यालय प्रमुख मूल सेवापुस्तिका प्राप्त कर मुख्यालय पेंशन शाखा को पावती भेजेगें। कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय में प्राप्त सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवापुस्तिका को म.प्र. वित्तीय संहिता भाग-दो, परिशिष्ट-बारह में निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखेंगे। तदुपरान्त सेवापुस्तिका को नियमानुसार अपलेखन करावेगें। विभागीय कार्यवाही अथवा न्यायालयीन प्रकरण जारी रहने पर प्रकरण में अंतिम निराकरण तक सेवापुस्तिका को सुरक्षित रखेंगे।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)


मुख्य लेखा अधिकारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधो.वि.मंडल भोपाल

पृ.क्रमांक/ 10300 /निस/पेंशन/लेखा शाखा/ भोपाल, दिनांक 09/05/2018
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव-आयुक्त, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल,भोपाल।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल,भोपाल।
3. अपर आयुक्त 1/2, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल,भोपाल।
4. मुख्य अंकेक्षण अधिकारी, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल,भोपाल।
5. मुख्य विधिक सलाहकार, म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल,भोपाल।
6. लेखा अधिकारी(पेंशन), म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल,मुख्यालय भोपाल।
सेवापुस्तिका की वापसी विशेष वाहक से करावेगें। पेंशन प्रकरण से संबंधित प्राप्त मूल प्रपत्र, अंकेक्षण शाखा का अनुमोदन, पी.पी.ओ. एवं जी.पी.ओ. की कार्यालय प्रति, गणना पत्रक इत्यादि उपरोक्त प्रावधान अनुसार सुरक्षित रखेगें।

/
मुख्य लेखा अधिकारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधो.वि.मंडल भोपाल